

**NATIONAL DAIRY RESEARCH INSTITUTE
(ICAR)
KARNAL-132001**

No .F.LRC/Auction/September/2017

Dated: 09-2017

To

Subject: Sale/Auction of surplus pedigree animals at National Dairy Research Institute, Karnal on 21st to 23rd September, 2017.

Sir,

I, AAO (Store) on behalf of the Director, NDRI, Karnal state terms and conditions of animals auction as under:

The list of the animals of crossbred Friesian and Brown Swiss, Sahiwal Cows, Tharparkar/buffaloes, Goats, Heifers and bulls which are available at this Institute for sale in September, 2017.

1. SALE ON BOOK VALUE ON 21.09.2017

Since the State Govt. /Research and Teaching Institute and Universities have the priority to choose the animals, therefore, on 21.09.2017, the animals will be offered for sale to those on terms and conditions mentioned below:

- a) Based on the information given by the Incharge, Livestock Research Centre, NDRI, Karnal in the enclosed list, the State Govt. / Institute are required to select such animals as they desire to acquire and intimate their numbers & particulars to the Incharge, Livestock Research Centre on or before 21.09.2017 and send their representative with authority letter to attend the final allotment of animals on 21.09.2017 at 11.00 AM in the office of the Incharge, Livestock Research Centre, NDRI, Karnal.
- b) Animals to progressive farmers/Goshallas will be allotted on book value along with Govt. / Departmental agencies on the same day. The selection of progressive farmers/Goshallas will be done by National Dairy Research Institute, Karnal. Those who are interested in allotment of animals under this category should apply to the Director, NDRI, Karnal
- c) The final allotment of the animals to each State/Institute will be made by the Animals Distribution Committee.

- d) Immediately after the allotment of animals, the State Govt./Institute have to deposit Rupees Five thousand for each animals they have been allotted and make their own arrangements for lifting of the animals within 10 days from the date of allotment, failing which feeding [charges@Rs.200/- per](#) day per animals (above one year of age) and Rs.100/-per day per animals (below one year of age) will be charged from the concerned party. If the animals are not lifted within 10 days, the Institute will be free to dispose off these animals suitably and EMD of Rs.5000/- will be forfeited. No reservations will be made without deposit. After the allotment of animals, the State Govt./Institute have to lift all the animals allotted to them failing which their advance will be forfeited and feeding charges @Rs.200/-(Adult) and Rs.100/-(Young) from the date of allotment of next auction month will be charged.
- e) If payment is made in shape of Demand Draft, the Draft may be drawn in the name of “**ICAR UNIT NDRI, KARNAL**”.
- f) If there is any casualty of animal already allotted before the date of lifting, the security deposited will not be refunded.
- g) Consequent upon the transfer of the Institute from the Govt. of India to Indian Council of Agril. Research, it has been decided that prices of animals allotted to the State Govt. / Institutes will have to be paid as per the prescribed mode before the animals are lifted. At present no GST is applicable on sale of animals.

The State Govt/Institutes are, therefore, advised to ensure their representatives who are deputed to lift the animals allotted to them are provided with sufficient funds to meet the cost of such animals.

Young bulls listed here could be selected by State /organization and sold to them on written assurance; that they will raise them and sell at Book Value plus feeding charges on future date.

2. SALE BY PUBLIC AUCTION ON 22.09.2017 (cattle) and 23.09.2017 (buffalo) AT 10.00 A.M.

The animals not allotted to the State Govt. / Institute on 21.09.2017 will be sold by Public Auction on 22.09.2017(cattle) & on 23.09.2017(buffalo) w.e.f. 09.00 A.M. to 05.00 P.M. at Livestock Research Centre, National Dairy Research Institute, Karnal. The general terms and conditions of the auctions are as under:

- a) The book value mentioned in the enclosed list has no relationship with the sale price of animals.
- b) The animals will be sold on “as is where is basis”. The bidder should examine the animals at the time of auction.
- c) The reason given for auction in the list (both in Category “A” and Category “B”) indicates the tentative basis on which the animal is being auctioned from the Institutes herd. Bidders should check the record and the animals for its health and productions

status before auction. The Institute will not be responsible for any ailment or disorder or other discrepancies after the animals is auctioned.

- d) The bidder who wants to participate in public auction should registered with I.D. Proof and security money Rs.5000/- will be deposited to the Cashier, NDRI, Karnal against a token no. to be issued. The security money of Rs.5000/- will be forfeited if the highest bidder is not able to deposit the final bid value of the animal in the shape of Demand Draft or through Debit Card. However, the security money will be refunded to non-successful bidders after the bidding process is over.
- e) **The highest bidder will have to supply self attested photocopy of his identity proof (Ration card/PAN card/Driving license / Electricity bill/Voter card /UID etc.).** He will be responsible for lifting the animals within 24 hours and in case they fail to do so a sum of Rs.200/-per day animals (above 1 Year of age) and Rs.100/-per day per animals below the one year of age will be charged from them as feeding charges. The sold animals are to be lifted at the earliest failing which the whole amount paid for the purchase will stand forfeited.
- f) The highest bidders will have to deposit the whole amount of the bid in the form of Demand Draft/transaction through Debit Card of the bidder at the spot on the fall of the hammer. No part payment of the bids will be accepted. At present no GST is applicable on sale of animals. The bidders may take help of the SBI at NDRI for preparation of DD if required.
- g) The highest bidder will have to make their own arrangement for lifting the animals from the Institute on the same day or 24 hours.
- h) The Institute is not responsible for any harm/injury/death caused to auctioned animals from the time of auction onwards.
- i) The Director, NDRI, Karnal or the Chairman, Animals Auction Committee reserves the right to accept or reject any or all the bids without assigning any reason.
- j) All the disputes/ litigations, if any will be subject to Karnal jurisdiction only.

NB : :i) Information given is based on the records available in Livestock Research Centre and observations on animals on the date of preparation of lists which is about one and half to two months before the date of auction. The reasons given for auction are, therefore, indicative. Any change in the status of the animals known to the Auction Committee is announced at the time of auction. Bidders should inspect the animals at the time of auction for any deviation in the status of animals from the once mentioned in the list of animals under the column “reason for auction”.

ii) There is a need to obtain permit for transportation of animals from Haryana State Territory. It is the responsibility of the Highest Bidder to obtain the permit

Yours faithfully,

Asstt. Admn. Officer (Stores)

Copy with its encls to:

1. All the State Directors of Animals Husbandry/ Vety. Services.
2. The Secretary to the Govt. of India, Ministry of Agriculture, Deptt. of Agriculture, Krishi Bhawan, New Delhi (alongwith five spare copies)
3. The Joint Commissioner (Livestock) to the Govt. of India, Ministry of Agriculture and Irrigation Department of Agriculture, Krishi Bhawan, New Delhi (alongwith five spare copies)
4. The Secretary, Indian Council of Agricultural Research, Krishi Anusandhan Bhawan, New Delhi (alongwith five spare copies)

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान
{भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद}
करनाल {हरियाणा}

फा0सं0 / नीलामी / सितम्बर-2017

दिनांक : सितम्बर-2017

सेवा में,

विषय:- राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में दिनांक 21 से 23 सितम्बर 2017
को अतिरिक्त

पशुओं की बिक्री हेतु ।

श्री मान् जी,

मैं, अद्योहस्ताक्षरी, निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल की ओर
से

निम्नलिखित शर्तों के आधार पर पशुओं की नीलामी के लिए ब्यान करता
हूँ:-

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल {हरियाणा} को संकर जाति फ्रिजन और ब्राउन स्विस, थारपारकर साहीवाल नस्ल की गायें, भैंसों बकरियां व सांड बिक्री हेतु उपलब्ध है। जिनकी सूची संलग्न है।

1. दिनांक 21 सितम्बर 2017 को केवल पुस्तकीय मूल्य पर

राज्य सरकार, अनुसंधान व शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित शर्तों पर पशु बिक्री हेतु उपलब्ध है।

{क} संलग्न पशु सूची प्रभारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र द्वारा दी गई है जिसके आधार पर राज्य सरकारों, संस्थानों को पशुओं का चयन करके जिनके वह इच्छुक है का नम्बर व विवरण प्रभारी, पशुशाला विभाग राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001{हरियाणा} को **21 सितम्बर, 2017** या इससे पूर्व भेज देने चाहिए और अपने प्रतिनिधि को पशु के अन्तिम चयन व प्राप्ति के लिए सुबह 11.00 बजे पशुधन अनुसंधान केन्द्र के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए भेज दें।

{ख} प्रगतिशील किसानों/गौशालाओं को जानवर पुस्तकीय मूल्य पर सरकारी विभागों के साथ ही उसी दिन आवंटित किये जायेंगे, प्रगतिशील किसानों, गौशालाओं का चयन राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा होगा इस श्रेणी में आने वाले इच्छुक किसानों/गौशालाओं/सरकारी विभागों को चाहिए कि वह इसके लिए आवेदन निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल को करें।

{ग} प्रत्येक राज्य, विभाग व संस्थान आदि को दिये जाने वाले पशुओं का अन्तिम निर्णय पशु वितरण समिति के द्वारा किया जाएगा।

{घ} पशुओं के अन्तिम आवंटन के तुरंत बाद प्रतिनिधि को 5000/- रुपये प्रति पशु जिनका उन्हें आवंटन किया गया है, जमा कराना होगा और पशु ले जाने की व्यवस्था तुरन्त करनी होगी। आवंटन के 10 दिन तक पशु को ले जाया जा सकता है। अन्यथा 200/- रुपये प्रति पशु के हिसाब से जो एक वर्ष से बड़े हैं और 100/- प्रति पशु जो एक वर्ष से छोटे हैं के हिसाब से संबंधित पार्टी को जमा कराना होगा। यदि 10 दिन के अन्दर पशु को नहीं ले जाया गया तो संस्थान पशु को बेचने के लिए किसी भी प्रकार से स्वतन्त्र होगा। धनराशि यदि कोई जमा हो

तो वह वापिस नहीं होगी। बिना धनराशि जमा किये कोई सरंक्षण नहीं माना जायेगा। अन्तिम आवंटन के पश्चात् राज्य सरकारों को दिये गये पशु जो कि उनको आवंटन किए हैं, को ले जाना होगा अन्यथा उनकी जमानत जब्त कर ली जाएगी और पशुओं से सम्बन्धित पार्टों को नीलामी के 15 दिन बाद से पशु उठाने तक का खर्चा देना होगा। खर्च की दर 200/- रुपये प्रति पशु जो एक वर्ष से बड़ा है और 100/- रुपये प्रति पशु जो एक वर्ष से छोटे है, होगी ।

{ड} यदि पशु के आवंटित होने के बाद ले जाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जमा राशि वापिस नहीं होगी।

{च} इस संस्थान को भारत सरकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत आने पर निश्चय किया गया है कि पशु की कीमत का भुगतान, पशु ले जाने से पहले करना होगा । इस समय पशुओं की बिक्री पर हरियाणा व केन्द्र का कोई सेल्स टैक्स नहीं है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने प्रतिनिधि जिन्हें पशु ले जाने के लिए भेज रही है, उनको पर्याप्त धन साथ लाने को कहे ताकि आवंटित पशु की कीमत चुका सके।

सूची में दिए गए सांड, कटड़े, बछड़े का राज्य/संस्थान द्वारा चुने जाने पर और लिखित आश्वासन मिलने पर संस्थान उनका पालन-पोषण करेगा। बाद में पुस्तकीय मूल्य और खिलाई-पिलाई आदि की राशि वसूल करके पशु उन्हें दे देगा।

2. आम निलामी द्वारा बिक्री 22 सितम्बर, 2017 को (गाय) और 23 सितम्बर, 2017 को (भैंस) प्रातः 10.00 बजे ।

जो पशु राज्य सरकार व विभागों, अनुसंधान एवं राजकीय संस्थानों द्वारा नहीं खरीदें जायेंगे वह 22.09.2017 को (गाय) तथा 23.09.2017 को (भैंस) प्रातः 09.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक पशुधन अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001 {हरियाणा} में आम निलामी द्वारा निलाम किये जायेंगे ।

निलामी की सामान्य शर्तें इस प्रकार हैं:-

1. संलग्न सूची में दी गई पुस्तकीय मुल्य का पशुओं की निलामी की कीमत से कोई संबंध नहीं है ।
2. पशुओं की निलामी जहां और जैसे के आधार पर होगी। निलामी देने वाले सभी व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वह बेचे जाने वाले पशुओं को पहले अच्छी तरह देख लें।
3. निलामी की सूची में दिये गये श्रेणी 'अ' और 'ब' के कारणों के आधार पर ही इस संस्थान से पशुओं की निलामी से पहले पशुओं के स्वास्थ्य उत्पादन की विस्तृत जानकारी दी गई लिस्ट से मालूम कर लें निलामी के बाद पशुओं में जो निलाम किए गये हैं, उनमें यदि किसी प्रकार की बीमारी या अन्य त्रुटि पाई जाती है तो संस्थान इसके बारे में जिम्मेवार नहीं होगा।
4. जो व्यक्ति आम नीलामी में से पशु लेगा उसे अपना पहचान पत्र जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पैन कार्ड में से एक प्रस्तुत करना पड़ेगा और साथ ही ₹0 5000/- धरोहर राशि (सिक्योरिटी मैनी) के रूप में जमा करानी होगी। अंतिम बोली के बाद उचित समय के अन्दर न ले जाने की स्थिति में जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। **पशुओं की कीमत डेबिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जाएगी नगद भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा।**
5. सबसे अधिक बोली देने वाले को उस पशु की कीमत तुरन्त हथोड़े की चोट पर उसी समय जमा करानी होगी। किसी भी प्रकार से भुगतान किशतों में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिके हुए पशु को 24 घन्टे के अन्दर ले जाना होगा तथा पशु को ले जाने का प्रबन्ध स्वयं करना होगा। अन्यथा 200/- प्रति पशु के हिसाब से जो एक वर्ष से बड़े हैं तथा 100/- रुपये प्रति पशु जो एक वर्ष से छोटे हैं के हिसाब से खिलाने-पिलाने का वसूल किया जाएगा। बिके हुए पशुओं को उचित समय के अन्दर न ले जाने की स्थिति में जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी। इस समय पशुओं की बिक्री पर कोई सेल्स टैक्स नहीं है ।
6. निलामी होने के पश्चात् निलाम किए गए पशुओं को कोई नुकसान, चोट या मृत्यु होने पर संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा ।
7. बिना कारण बताये निलामी में किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, अध्यक्ष राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के पास सुरक्षित हैं।
8. किसी किस्म का विवाद/मुकदमा बाजी आदि यदि कोई होगा तो उसका निपटारा करनाल न्यायालय में होगा ।

नोट:-

1. नीलामी की सूची तैयार की गई सूचना में किसी भी प्रकार की विभिन्नता की जानकारी के लिये बोली बोलने से पहले व्यक्ति को नीलामी के समय पर पशुओं की जांच कर लेनी चाहिए।
2. नीलामी की सूची नीलामी के डेढ से दो माह पहले तैयार की गई है। पशुओं के बेचने का कारण उसके नम्बर के आगे दर्शाया गया है। यदि पशुओं के स्वास्थ्य व उत्पादन के बारे में कोई भिन्नता पाई गई तो नीलामी कमेटी नीलामी के समय उसकी जानकारी दे देगी। नीलामी के बाद यदि पशु में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाये तो संस्थान इसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा।
3. हरियाणा राज्य से बाहर पशु ले जाने के लिए परमिट की आवश्यकता है परमिट बनवाना बोली देने वाले व्यक्ति की जिम्मेवार होगी। संस्थान के अधिकारी इस बारे में केवल जानकारी दे सकते हैं।
4. यदि आपने भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा करना है तो इस नाम से बनाया जायेगा। 'आई.सी.ए.आर.,यूनिट, एन0डी0आर0आई0, करनाल'
5. भूल-चूक लेनी देनी।

भवदीय

सहा0प्रशा0अधिकारी {केन्द्रीय भंडार}

प्रतिलिपि:-

1. समस्त निदेशक, पशुपालन विभाग ।
2. सचिव, भारत सरकार, कृषि भवन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।
- 3- सचिव, भारत सरकार, कृषि व सिंचाई मंत्रालय, कृषि अनुसंधान भवन, नई दिल्ली ।